matching shares utilization certificates and progress reports submitted by the State Government etc.

(b) The Tribal population to be covered under different Schemes under the Tribal sub-plan in the State of Madhya Pradesh will depend under the Tribal sub-plan in the different Schemes as mentioned in reply to part (a) of the Question. However, the tentative target under Point 11(b) of the 20 Point Programme for providing economic assistance to Scheduled Tribe families during the current financial year is 2,45,000.

Closure of blind school

6715. SHRI SANATAN BISI: Will the Minister of WELFARE be pleased to state:

(a) what steps have been taken by Government to avoid the closure of the blind school at Gurgaon for the want of grant-in-aid; and

(b) if so, what are the details thereof?

THE MINISTER OF WELFARE (SHRI SITARAM KESRI): (a) and (b) Under the Scheme of 'Assistance to Voluntary Organisations for Establishment of Special Schools, the Ministry of Welfare has released grant-in-aid of Rs. 72,173/- (Rs. 12,458/- (recurring) Rs. 59,715/- (non-recurring) to the organisation. All India Confederation of the Blind', Gurgaon for running a Special School for the Blind.

Setting of National Institute of rehabilitation training and resarch

6716. SHRI SARADA MOHANTY: Will the Minister of WELFARE be pleased to state:

(a) the number of branches of National Institutes of Rehabilitation Training and Research set up in the country and location thereof;

(b) whether the employees of these institutes are entitled to get pension, GPF and other benefits;

(c) if so, the details thereof and the reasons for not getting these facilities at Olatpur, Orissa; and

(d) the steps taken by Government to get these facilities equally?

THE MINISTER OF WELFARE (SHRI SITARAM KESRI): (a) The National Institute of Rehabilitation Training and Research does not have any branch.

(b) Yes, Sir.

(c) and (d) The issue of GPF-cum-Pension has been resolved and it has been decided that the Institute (NIRTAR) may adopt the GPF-cum-Pension Scheme as applicable to the Central Government Employees provided one of the following options is satisfied;

(i) An adequate corpus is created based on acturial calculations,

(ii) To approach LIC for a suitable annuity scheme; and

(iii) To joint the EPFO pension scheme.

The above decision has been implemented and all the retired employees of NIRTAR opting for GPF-cum-Pension Scheme are getting pensionary benefits.

मध्य प्रदेश के ग्रामीण तथा आदिवासी क्षेत्रों में बेरोजगारी की समस्या

6717. **श्री दिलीप सिंह जूदेव** : क्या **कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने मध्य प्रदेश के ग्रामीण तथा आदिवासी क्षेत्रों में, विशेषकर छत्तीसगढ़ क्षेत्र में बेरोजगारी की समस्या को नियंत्रित करने के लिए कदम उठाए हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या इस प्रयोजनार्थ आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कुछ धनराशि आवंटित की गई है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) देश के ग्रामीण क्षेत्रों मे बेरोजगारी की समस्या से निपटने के लिए भारत सरकार दो प्रमुख रोजगार कार्यक्रम कार्यान्वित करती रही हैं, यथा (1) समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई.आर.डी.पी.), और (2) जवाहर रोजगार योजना (जे.आर.वाई.)

समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई. आर. डी. पी.)

आई.आर.डी.पी. का जो एक प्रमुख गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम है, उद्देश्य ग्रामीण परिवारों के लिए स्वरोजगार के अवसर सृजित करना हैं ताकि उन्हें गरीबी की रेखा से ऊपर उठने में समर्थ बनाया जा सके । इस कार्यक्रम का कार्यान्वयन छत्तीसगढ़ क्षेत्र सहित मध्य प्रदेश के सभी जिलों में किया जाता है।

जवाहर रोजगार योजना (जे.आर.आई.)

इस योजना का मुख्य उद्देश्य मध्य प्रदेश के सभी जिलों सहित देश के ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगार तथा अर्द्ध-रोजगार प्राप्त व्यक्तियों के लिए अतिरिक्त रोजगार सृजित करना है। यह कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक लोगों को रोजगार मुहैया कराने के उद्देश्य से सभी ग्राम पंचायतों में कार्यान्वित किया जा रहा है। इसके अलावा, भारत सरकार ने अक्तूबर, 1993 से रोजगार आश्वासन योजना (इ.ए.एस.) शुरू की है जिसका उद्देश्य 18 वर्ष से अधिक और 60 वर्ष से कम आयु के काम चाहने वाले व्यक्तियों को कृषि अवधि के बाद मंदी के दौरान 100 दिनों का आश्वस्त रोजगार प्रदान करना है। इस योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश के 297 ब्लॉकों को शामिल किया गया है।

(ग) और (घ) 8वीं पंचवर्षीय योजना में पिछले तीन वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश राज्य को समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लिए निम्नलिखित धनराशि आवंटित की गई है :—

वर्ष	आबंटन (रु० लाख में)
1992–93	6472.00
1993–94	10664.00
1994–95	10573.00